

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 101/2022 राजस्व वाद

1. कैलाश कंवर पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — वादीया

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. बृजराज सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सनु कंवर पुत्री श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. प्रताप सिंह पुत्र श्री हरिसिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. गिरवर सिंह पुत्र श्री ईश्वरदान चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. गोपाल सिंह पुत्र श्री गंगादान चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. श्रीमती गोविन्द कंवर पत्नी श्री ईश्वरदान चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये प्रबंधक
12. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये शाखा प्रबंधक

— प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात**

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन,
2. एकपक्षीय-
2. परोकार सरकार

-अधिवक्ता वादी

प्रतिवादीगण

-अधिवक्ता-प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक- 13/12/2022

वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई, चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीया का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 से 09 उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1507 रकबा 0.0632 हैक्टर, आराजी नम्बर 1508 रकबा 0.0379 हैक्टर, आराजी नम्बर 1509 रकबा 0.1518 हैक्टर, आराजी नम्बर 1510 रकबा 0.0632 हैक्टर, आराजी नम्बर 1511 रकबा 0.0379 हैक्टर, आराजी नम्बर 1512 रकबा 0.0253 हैक्टर, आराजी नम्बर 1513 रकबा 0.4300 हैक्टर, आराजी



अधिकारी
भीलवाड़ा